कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण ,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या– वा0क0अधि0 / पदोन्नति / परित्याग / 2306 / 24 दिनांकःजुलाई 05 ,2024

–:परिपत्र:–

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृपया कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–14 / 2022 / सैंतीलीस–का–1–2022 / 13(4) / 2022 दिनांक 06.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार (forgo) किए जाने के संबंध में है।

उक्त के संबंध में निर्देशानुसार अवगत कराना है कि सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार किये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी को शासनादेश के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है, शासनादेश दिनांक 06.10.2022 के **बिन्दु संख्या–2 (क)** अंश जो निम्नवत् है।

2–(क) पदोन्नति से इन्कार करने वाले संबंधित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत् शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा।

मुख्यालय के आदेशांक–1864 / 24 दिनाकं 02.07.2024 द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया है। अतः मुख्यालय द्वारा निर्गत ज्येष्ठता सूची के अनुसार संभावित पात्रता सूची में आने वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारियों जो अपनी पदोन्नति नहीं चाहते हैं, से उक्त आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर **दस कार्य दिवस** के अंदर मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें। सशर्त परित्याग प्रार्थना–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

/

(तरुण कुमार)
निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय को इस आशय से कि, मुख्यालय पर कार्यरत् तृतीय श्रेणी कमचारियों को उक्त वस्तु स्थिति से अवगत कराये।
3. वरिष्ठ सहायक (स्थापना–1), मुख्यालय।

(तरुण कुमार)
निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।